

पत्रांक:वाई.ई.ए./सम्पत्ति/10693/2020  
दिनांक : 22/12/2020

### कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक की गद संख्या-27 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्राधिकरण की कतिपय सम्पत्तियों की लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु निःशुल्क समय विस्तारण कराने के संबन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर संचालक मंडल द्वारा विचारोपरान्त केवल आवासीय सम्पत्तियों की लीज डीड निष्पादन किये जाने हेतु दिनांक-31.03.2021 तक का समय विस्तारण प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मोनिका रानी)  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

### प्रतिलिपि-

1. स्टाफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी म.दय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.बी./एम/एन.जी.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
4. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)/प्रबन्धक (सम्पत्ति) अनुपालनार्थ।
5. विधि अधिकारी के सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक सिस्टम को बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. प्रबन्धक मार्केटिंग को उक्त कार्यालय ज्ञाप को एक अग्रेजी एवं एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी